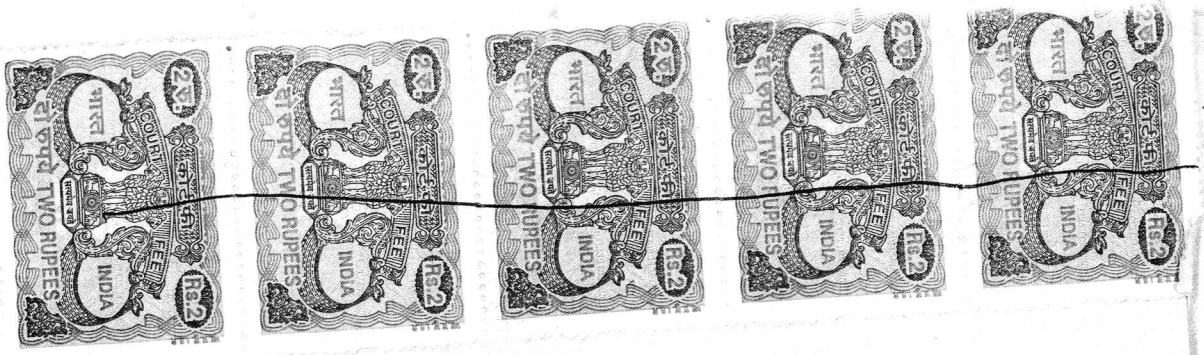

राजस्व बोर्ड ग्वालियर (केम्प)

न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय, सागर (म०प्र०)

R-2195-III/14

१- विजय कुमार वल्द मुन्नालाल गुप्ता
२- सतीश कुमार वल्द मुन्नालाल गुप्ता
३- स्व०संजय कुमार वल्द मुन्नालाल गुप्ता
४- हरि नारायण वल्द मुन्नालाल गुप्ता

सभी निवासी सदर बाजार, सागर तह०जिला सागर == == ==

पुनरीक्षण कर्ता। आवेदकगण

बनाम

अमित केशरवानी वल्द हरिओम केशरवानी
निवासी सदर बाजार, सागर तह०जिला सागर == == अनावेदक

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा ५० म०प्र०भू-रा०संहिता

न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय, द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक २२-अ।७० वर्ष २०१२-१३ नाम पक्षकार अमित वल्द हरिओम बनाम विजय कुमार व अन्य मे पारित आदेश दिनांक २२।४।१४ से दु:खी होकर यह रिवीजन प्रस्तुत है।

पुनरीक्षण के संक्षिप्त तथ्य एवं आधार

१- यहकि, पुनरीक्षण कर्ता। आवेदकगण ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक २२।४।०१४ के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी सागर के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसे माननीय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक ३०।६।०१४ को क्षेत्राधिकार के अभाव मे निरस्त किया है, जिसके उपरांत माननीय के समक्ष यह पुनरीक्षण प्रस्तुत किया है।

२- यहकि, अमित केशरवानी वल्द हरिओम केशरवानी निवासी

XXIX(a)-BR(H)-11

(2)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक...R-2195-III/2014 जिला ....सागर.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-2-15 सागर कैम्प	आवेदक अधिवक्ता श्री अमित चौकसे उप०। उन्हें ग्राह्यता पर सुना। प्रकरण ग्राह्यता पर आदेशार्थ। प्रशासकीय सदस्य	
4-2-15 सागर कैम्प	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा तहसीलदार तह० वजिला सागर के प्र० क्र० 22/अ-70/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 22-4-14 की सत्यप्रतिलिपि का व अभिलेख का अवलोकन किया गया, जिससे दुखित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। 2- तहसीलदार के आदेश से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक श्री अमित केशरवानी का नाम दर्ज है। यदि इससे आवेदक असंतुष्ट है तो उसे गलत सिद्ध करने का भार भी उन्हीं का है तथा ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने का का अवसर तहसील न्यायालय में प्रचलित प्रकरण में आवेदक के पास उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा आवेदक का आवेदन अस्वीकृत करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अतः प्रथमदृष्टया यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। प्रशासकीय सदस्य	

[कृ. प. उ.